माननीय सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक दिनाँक 01.08.2019 का कार्यवृत्त

दिनाँक 01.08.2019 को माननीय सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में सहकारी प्रबन्ध संस्थान, देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड, निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, उपसभापति, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद्, समस्त प्रभारी अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, अध्यक्ष, शीर्ष सहकारी संस्थायें, उत्तराखण्ड, समस्त अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि0 सहित प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड एवं समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मा0 मंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में एजेण्डानुसार निम्नप्रकार समीक्षा की गयी:–

1. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की प्रगति समीक्षा:–

बैंक द्वारा संकलित सूचना से विदित हुआ, कि उक्त योजना में योजनारम्भ दिनाँक 01.10.2017 से 26.07.2019 तक कुल 2,12,284 लाभार्थियों को 1050.00 करोड़ रु0 अल्पकालीन ऋण एवं 17,880 लाभार्थियों को 145.00 करोड़ का मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया। इसी प्रकार, कुल 44 महिला समूहों को 42.00 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया। सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया, कि वर्तमान में बैंक स्तर पर 148 महिला समूहों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, उक्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर ऋण वितरण की कार्यवाही संचालित की जा रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति न होने का कारण पूछा गया। अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया, कि स्वंय सहायता समूह के गठन के उपरान्त 06 माह तक उनके कार्यकलापों के अवलोकनोपरान्त ही ऋण वितरण करने का नियम है, जिस कारण स्वंय सहायता समूह को आशातीत् ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है। उक्त सम्बन्ध में निबन्धक महोदय, द्वारा अवगत कराया गया, कि यदि विशेष परिस्थिति में कोई महिला या पुरुष समूह तत्काल वित्त पोषित होना चाहता है, परन्तु 6 माह के क्रियाकलापों की शर्त के कारण उक्त समूहों को ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है, तो उक्त समूह को **'संयुक्त देयता समूह'** (JLG) के रूप में वित्त पोषित किया जा सकता है। अध्यक्ष, जिला सहाकारी बैंक लि0, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया, कि ब्लॉक स्तर पर शाखा प्रबन्धक, सहायक विकास अधिकारी, राजकीय पर्यवेक्षक एवं समिति सचिव को उक्त योजना से सम्बन्धित उचित जानकारी के अभाव में लक्ष्यनुसार ऋण वितरित नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त सम्बन्ध में निर्देश दिये गये, कि प्रदेश में प्रत्येक विकासखण्डवार कार्यरत सहायक विकास अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, राजकीय पर्यवेक्षक एवं समिति सचिव को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया जाये, जिसमें योजना से सम्बन्धित जानकारियाँ यथा महिला/पुरुष समूहों का गठन, ऋण वितरण हेतु प्रस्ताव, संलग्न अभिलेखों की जाँच, ऋण प्रायोजन की स्थिति आदि के सम्बन्ध में जानकारियाँ दी जायें एवं उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारी प्रबन्ध संस्थान के विशेषज्ञों या विभागीय विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाये। बैठक दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया, कि पूर्व में गठित अधिकांश समूह निष्क्रिय अवस्था में हैं, साथ ही अन्य समूह विभिन्न सरकारी विभाग, राजकीय विभाग यथा ग्राम्य विकास, पंचायत विभाग, आजीविका मिशन, एन0आर0एम0एल0 परियोजना के माध्यम से स्थापित किये गये हैं। उक्त प्रकार के स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय कर समूह की विश्वसनीयता को देखते हुये प्रत्येक समूह को उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय, द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश स्तर पर कुल 20,000 स्वयं सहायता समूह को वित्तपोषित करने का लक्ष्य दिया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा समस्त जिला सहायक निबन्धक, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक को चेतावनी सहित

(42)

निर्देशित किया, कि उक्त योजना के अर्न्तगत वितरित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें। राज्य में आयोजित ऋण मेले जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री अथवा वे स्वंय उपस्थित रहें, उक्त मेलों में महिला समूहों को वितरित ऋण वितरण चैक की धनराशि उनके खाते में हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्बिन्धत बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। निबन्धक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया, कि उक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण में आने वाली समस्त समस्याओं को निबन्धक कार्यालय को प्रेषित करें, जिसका कि ससमय् परीक्षण कर निवारण किया जा सके।

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक लि0, समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड)

2. **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ(एमपैक्स) के कम्प्यूटरीकरण पर परिचर्चाः–**

बैठक दौरान यह विदित हुआ, कि एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु 'राज्य स्तरीय कार्यन्वयन एवं अनुश्रवण समिति' तथा 'जिला स्तरीय कार्यन्वयन एवं अनुश्रवण समितियों' का गठन किया गया है। 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, एमपैक्स में कम्प्यूटरीकरण हेतु समस्त एमपैक्सों का 31.03.2019 तक का विशेष ऑडिट कराया जाये, जिससे कि कम्प्यूटरीकरण के समय त्रुटिरहित व विश्वसनीय डाटा माइग्रेट किया जा सके। अपर निबन्धक, प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया, कि एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल व्यय का 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा, 25 प्रतिशत सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक लि0 द्वारा एवं 40 प्रतिशत सम्बन्धित एमपैक्स द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया, कि जो एमपैक्स 10.00 लाख रु0 या उससे अधिक लाभ पर संचालित है, एवं गत् 03 वर्षो से लाभ की स्थिति में संचालित है, वह एमपैक्स कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वयं अपना व्यय वहन कर सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से भी वित्तपोषित किया जा सकता है। एमपैक्स कम्प्यूटरीकरण हेतु जिला सहकारी बैंक के लिए निर्धारित अंशधन पर परिचर्चा की गई। सचिव, सहकारिता उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंक अध्यक्ष, सचिव/महाप्रबन्धकों को अवगत कराया गया, कि एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों हेतु निर्धारित अंशधन वहन करने से जहाँ एमपैक्स की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी वहीं एमपैक्स में हो रही भारी अनियमितता से भी बचाव होगा। माननीय मंत्री जी के द्वारा उक्त सम्बन्ध में गठित कमेटी के सदस्यों एवं समस्त विभागीय बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये, कि निर्धारित समयावधि में एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक लि0 एवं समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, समस्त एवं उक्त हेतु गठित कमेटी के सदस्य)

3. **सहकारी बैंकों एवं एम्पैक्स में एक मुश्त समाधान योजना (OTS) की स्थिति की समीक्षाः–**

समीक्षा बैठक दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया, कि राज्य में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 एवं जिला सहकारी बैंक लि0 से वित्तपोषित ऋण खातें, जो एन0पी0ए0/अवधिपार ऋणों की श्रेणी में वर्गीकृत हो गये हैं, कि वसूली हेतु दिनाँक 01.07.2019 से लागू एक मुश्त समझौता योजना (**OTS**)–**2019** प्रगति आशातीत् नहीं है। वर्तमान में मात्र जिला सहकारी बैंक देहरादून में 23, जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी में 07 एवं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक में 08 लाभार्थियों द्वारा ही एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लिया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त योजना की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया है, साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश प्रसारित किये गये, कि समस्त जिला एवं राज्य सहकारी बैंक उक्त योजना में अधिक से अधिक बकायेदार सदस्यों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, सहकारी बैंक अपने बैंक से सम्बन्धित

लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, सहकारी बैंक अपने बैंक से सम्बन्धित समस्त बकायेदारों को एस0एम0एस0 एवं व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से उक्त योजना से लाभान्वित होने हेतु सूचना प्रेषित करें। माननीय मंत्री जी द्वारा सहकारी बैंकों में एन0पी0ए0 वसूली अभियान की भी समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान विदित हुआ, कि कुल एन0पी0ए0 धनराशि 37582.58 लाख रुपये के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में आतिथि 2810.51 लाख रुपये धनराशि वसूल हो चुकी है। जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा द्वारा मात्र 62.07 लाख रुपये की सर्वाधिक न्यून वसूली की गयी है व जिला सहकारी बैंक लि0, कोटद्वार द्वारा 386.24 लाख रुपये की सर्वाधिक एन0पी0ए0 वसूली की गयी। माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये, कि OTS योजना के साथ–साथ एन0पी0ए0 वसूली अभियान के अन्तर्गत भी एन0पी0ए0 धनराशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक लि0 एवं समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0,)

4– एमपैक्स कैडर फण्ड में ओवर ड्रॉफ्ट को समाप्त करने पर परिचर्चा:–

कैडर फण्ड में ओवरड्रॉफ्ट को समाप्त करने हेतु गठित कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार जनपदों में ओवर ड्रॉफ्ट कैडर फण्ड में 50 प्रतिशत धनराशि जिला सहकारी बैंकों तथा 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित एमपैक्स द्वारा वहन किया जाना निर्धारित किया गया। उक्त सम्बन्ध में समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 को समस्त जनपदीय कैडर फण्ड में लगभग 41.11 करोड़ रुपये धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त धनराशि का 50 प्रतिशत लगभग 22.50 करोड़ रुपये की धनराशि को 10 जिला सहकारी बैंकों में विभाजित कर 02.00 करोड़ रुपये की धनराशि को प्रत्येक सहकारी बैंक अपने आगामी 03 से 05 वर्षों में होने वाले शुद्ध लाभ से वहन/पूर्ति किये जाने के निर्देश निबन्धक कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये।

(कार्यवाही– निबन्धक, सहकारी समितियाँ, समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड)

5– उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली 2019 की प्रगति समीक्षा:–

समीक्षा बैठक दौरान उपस्थित प्रत्येक अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि0, को एमपैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली 2019 की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। माननीय मंत्री जी द्वारा समस्त बैंक अध्यक्षों को अवगत कराया गया, कि उक्त नियमावली का भली–भांति अवलोकन कर सम्यक विचार प्रस्तुत करें, साथ ही उक्त नियमावली हेतु गठित समिति के सदस्यों को निर्देशित किया, कि वह जनपदवार् जाकर उक्त नियमावली के सम्बन्ध में समस्त सहकारी प्रतिनिधियों, बैंक, विभागीय अधिकारियों से उनके सुझाव, मन्तव्य लें, जिससे कि उक्त नियमावली में उचित संशोधन कर नियमावली निर्धारित समय में तैयार की जा सके। माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त नियमावली के सम्बन्ध में सूचित किया गया, कि वर्तमान में कार्यरत् कुल 431 सचिवों की सेवाओं को सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक में समायोजित किया जा सकता है एवं आमेलन पश्चात कुल अवशेष रही 670 एमपैक्सों में नये सचिवों की नियुक्ति कर उनका नया राज्य स्तरीय कैडर बनाया जाये। नये सचिवों की नियुक्ति हेतु उसी न्यायपंचायत का व्यक्ति अहर्य होगा। नये सचिव का नियत न्यूनतम् वेतनमान 10,000 रुपये प्रतिमाह व एमपैक्स के लाभ पर निर्धारित होगा। उक्त सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा समस्त सदन को सूचित किया गया, कि उक्त नियमावली के सम्बन्ध में अपने सुझाव/संस्तुतियाँ/मन्तव्य एक सप्ताह के भीतर गठित कमेटी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त बैंक अध्यक्ष, सहकारी बैंक लि0, उक्त हेतु गठित कमेटी के सदस्य)

6– <u>राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की प्रगति समीक्षाः–</u>

उक्त बैठक में 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के सम्बन्ध में सचिव, सहकारिता द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी एवं योजना के सम्बन्ध में आ रही विभिन्न शंकाओं का निवारण किया गया। सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया, कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से 100.00 करोड़ रु0 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, एवं NCDC से अग्रिम धनराशि हेतु बैंकों संचालक मण्डल के सहमति प्रस्ताव एवं उसके परिपेक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत Letter of Comfort को उपलब्ध कराया जाना है। अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड द्वारा योजना के विभिन्न क्रियाकल्पों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया गया, कि समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना सुनिश्चित करे, ताकि योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो सके।

(कार्यवाही– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड)

7– <u>जनपद स्तरीय वित्तमान निर्धारण तकनीकी समिति द्वारा विभिन्न कृषि एवं औद्यानिकी फसलों के वित्तमान निर्धारण के सम्बन्ध में परिचर्चाः–</u>

समीक्षा बैठक दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया, कि प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सम्बन्धित जनपद हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न कृषि एवं औद्यानिकी फसलों के साथ–साथ भेड़–बकरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन आदि के वित्तमान उनके बुवाई, सिंचाई, निराई–गुड़ाई, बीज की कीमत, रसायनिक, जैविक खाद आदि अन्य व्यय के आधार पर निर्धारित किये जाते है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में काफी कम है, क्योंकि पर्वतीय जनपदों में भूमि जोत कम होने के कारण उस जोत के अनुपात में प्राप्त होने वाला वित्तमान काफी कम है, जिस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण वितरण की प्रगति न्यून रही है।

उक्त स्थिति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सचिव, सहकारिता को निर्देशित किया, कि वह विभिन्न फसलों का प्रति एकड़ वित्तमान बढ़ाने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में सचिव, सहकारिता द्वारा समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 को निर्देशित किया, कि प्रति एकड़ वित्तमान बढ़ाने हेतु अपने बैंक की प्रबन्ध कमेटी से प्रस्ताव पारित शासन को प्रेषित करें, ताकि प्रदेश के कृषक सदस्यों की फसल का वित्तमान बढ़ाकर महत्वकांक्षी लोककल्याणकारी दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ब्याजरहित ऋण वितरित कर लाभान्वित किया जा सके।

(कार्यवाही– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड सरकार)

8– <u>उक्त के अतिरिक्त माननीय मंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गयेः–</u>

- प्रत्येक जनपद में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति के माध्यम से उपस्थिति होनी चाहिए।
- विभिन्न सरकारी बैंको में रिक्त पड़े चतुर्थ श्रेणी के पदों में नयी नियुक्ति हेतु पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायें।
- प्रदेश में कार्यरत् वह एमपैक्स जिनमें भारी अनियमितता उजागर हुई है, कि जाँच **'विशेष जाँच दल'** (S.I.T.) या सतर्कता विभाग द्वारा करवायी जाये, ताकि विभाग की धूमिल हो रही प्रतिष्ठा को बचाया जा सके एवं आरोपी कार्मिकों से दृढ़तापूर्वक वसूली कि जा सके। **(कार्यवाही–समस्त विभागीय एवं बैंक अधिकारी)**

अन्त में निबन्धक महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में तद्नुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित करते हुये सचिव, सहकारिता द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(बी0एम0मिश्र)
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
पत्राँक–पी0 2748 /एस0आर0आई0/बैठक–कार्यवृत्त/2019–20/दिनाँक 13 अगस्त, 2019।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
3. समस्त बैंक अध्यक्ष, द्वारा प्रबन्ध निदेशक, सचिव/महाप्रबन्धक राज्य एवं जिला सहकारी बैंक लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी/देहरादून।
5. समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।
7. सचिव (सहकारिता), उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।